न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 295/18 तारीख रजू 19.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का कमालपुर बनाम

श्री बाबूलाल पुत्र श्याम जाति मीणा निवासी कलीन तहसील

महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 27.2.18

निर्णय

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री बाबूलाल ने ग्राम कलीन को भूमि ख.न. 331/1 रकबा 0-10 किस्म चारागाह फसल रबि / खरीफ संवत 2074 में गेहूं कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 331/1 रकबा 0-10 किस्म चारागाह वाके ग्राम कलीन से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5.50 x 40 गुणा 220= शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल गेहूं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
तहसील महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर गांव के पेज नं० 27 पर
वर्ष 2017-18 ... नीलामी
की राशि ... 220=
की जमा ...
दिनांक 5/3/18 (हस्ताक्षर) लेखाकार
तहसील-महवा